संख्या- 248 /2023/3472 /चार-2023

प्रेषक ,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2023**

विषयः- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'मेरी माटी, मेरा देश' एवं 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि आजादी का अमृत महोत्सव योजना के समापन समारोह में प्रदेश में 'मेरी माटी, मेरा देश' एवं 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रमों के आयोजन हेतु शासनादेश संख्या-3322/चार-2023, दिनांक 31 जुलाई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-247/3471/चार-2023, दिनांक 04 अगस्त, 2023 के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम में जनपदों में भव्य रूप से सफलतापूर्वक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों को प्रति जनपद रू0 5.00 लाख (रूपये पॉच लाख) की दर से कुल रू0 375.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन, पुष्टि तथा समस्त बिल-वाउचरों की जांच करने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) उक्त व्यय, धनराशि की उपलब्धता की सीमा तक ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा आहरित कर समस्त जनपदों के जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के बैंक खातों में प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक -2205-कला तथा संस्कृति- 800-अन्य व्यय-19-चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव-42- अन्य व्यय' मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 248 /2023/3472(1)/चार-2023तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- समस्त जिलाधिकारी/ जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचि

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।